

जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 56 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 3.6425 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 750000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील — नीमकाथाना जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 18.09.2025 कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा निर्धारित की गई जिसकी अनुपालना में उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 01:00 बजे, स्थान— राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरण—

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/2229 दिनांक 01.08.2025 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ-सीकर/एसआईके- पीएच-031/1135 — 1142 दिनांक 04.08.2025 के अनुपालना में मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 56 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 3.6425 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 750000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील — नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की कलेक्टर मय खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की अध्यक्षता में खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 18.09.2025 को आयोजित की गई। सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र राष्ट्रदूत के संस्करण में दिनांक 07.08.2025

Omika

✓

एवं पंजाब केसरी के संस्करण में दिनांक 07.08.2025 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स परिवेश इन्वायरमेन्टल इन्जीनियरिंग सर्विसेज, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री मुजामील खान के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमूह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई तथा ग्रामीण पंचायत से परामर्श कर उचित व्यवस्थाएं की जायेगी।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर एवं श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में

Demita

पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

तत्पश्चात् जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट किये गये जो कि निम्नानुसार है :-

1. दांताराम गुर्जर, ग्राम भुजा ने बताया कि प्लॉट में 58 से घर की दूरी 50 मीटर है वो नहीं बता रहे है एवं दूसरा मकान सवायचक भूमि पर है। लगभग 300 मीटर दूरी पर दीपावास बड़ा बांध है। दूसरा बांध 200 मीटर मोकलवास में है, 4 जोहड़ है नजदीक में, 400 से 500 गाय एवं नील गाय है जिनकी जीवन रेखा दोनो बांध पर निर्भर है, उनके आने - जाने का रास्ता भी नहीं रहेगा। दास की ढाणी 300 मीटर है वो नहीं दिखा रहे है।
2. सुमेर सिंह जी गांव मोकलवास ने बताया कि मोकलवास ग्राम पंचायत है जो कि एक प्राचीन सभ्यता है। 1100 वर्ष से इस गांव में मेला लगता है। यदि यहां खनन पट्टा आवंटित किया जायेगा तो श्रदालुओं के आने-जाने के लिए रास्ता नहीं रहेगा। भैरु मन्दिर जो कि 100 मीटर पर है। 150 मीटर पर दास की ढाणी की आबादी है, 02 एनिकट उक्त खसरे नम्बर पर है।
3. जितेन्द्र भीणा, ग्राम मोकलवास ने बताया कि खातेदारी जमीन कलस्टर से 0 से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। खसरा नम्बर 971, 972, 973, 974, 975 एवं 978 है इस पर पुराना मोकलवास बसा हुआ है।
4. भवानी सिंह भीणा, ग्राम मोकलवास ने बताया कि खसरा नम्बर 303 में खातेदारी जमीन पर राजकीय बिजली कनेक्शन है जिसपर खेती एवं पशुपालन कर रहे है।
5. नागरमल भीणा, ग्राम दास की ढाणी ने बताया कि खसरा नम्बर 1152 में कुआँ, मकान और 02 जोहड़ बने हुए है। पशु भी यहां चरते है।
6. ओंकारमल पुत्र रामजीलाल, ग्राम मोकलवास ने बताया कि खसरा नम्बर 981/1152 में कई वर्षों से खेती, पशुपालन करते है।
7. श्री हरदान पुत्र श्रीराम, ग्राम भुजा ने बताया कि सवायचक में मेरी बसावट, पक्का मकान एवं बिजली कनेक्शन है।

सभी ग्रामवासियों ने कहा कि खनन कार्य यदि 300-400 फीट तक किया जायेगा तो गायों का कैसे आना-जाना होगा। ग्रामवासियों ने कहा कि पानी कहां से लेकर आवोगें, यहां

Devi

[Signature]

पर पहले से ही पानी की समस्या है जो कि डार्कजोन में आ रहा है। आस-पास के तालाब एवं नदियां खत्म हो जायेगी।

इसके पश्चात् इकाई प्रतिनिधि ने सभी ग्रामवासियों से अनुरोध किया कि आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य किया जायेगा। परन्तु सभी ग्रामवासियों ने इकाई प्रतिनिधि को बोलने का मौका नहीं दिया और उपस्थिति पंजिका पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। जबकि जन सुनवाई के दौरान लगभग 90 से 100 उपस्थित थे तथा जन सुनवाई का विरोध किया गया।

अन्य 05 प्रस्तावित खनन परियोजनाओं हेतु भी कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में जनसुनवाई दिनांक 18.09.2025 को आयोजित थी। प्रस्तावित खनन परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

1. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 53 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील - नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।
2. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 55 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील - नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।
3. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 54 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.5010 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 380000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील - नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।
4. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 57 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.79346 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष



(रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील — नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।

5. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 58 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.099 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 350000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील — नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित सभी व्यक्तियों को बताया गया कि 05 अन्य प्रस्तावित खनन परियोजना संबंध में विस्तृत जानकारी खनन प्रतिनिधि द्वारा दी जानी है परन्तु उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि सभी जनसुनवाई में हमारे द्वारा दिए गए सुझाव आपत्ति समान ही रहेंगे एवं सभी प्रस्तावित खनन परियोजनाओं का विरोध करते हैं।

सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया कि यदि उन्हें इस परियोजना से किसी प्रकार की कोई सुझाव/आपत्ति हो तो मौखिक व लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान इस खनन परियोजना से सम्बन्धित लिखित में 04 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई।

जन सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना एवं क्षेत्रीय अधिकारी, सीकर द्वारा सभी ग्रामवासियों एवं इकाई प्रतिनिधि के सहयोग से कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास के परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा जन सुनवाई समाप्त होने के पश्चात् सभी ग्रामवासियों को पौधों का वितरण किया गया।

अंत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



Munir
(राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

(मार्गीय शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नीमकाथाना

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सनुवाई

उपरिस्थिति पत्रक

मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 56, क्षेत्रफल 3.6425 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 750000 टनप्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास तहसील - नीमकाथाना जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सनुवाई की दिनांक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सनुवाई दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 01:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में निर्धारित की गई।

स्थान :- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर ।

दिनांक :- 18.09.2025

समय :- दोपहर 01.00 बजे (गुरुवार)

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1	Sumer Singh Meena	9521417739
2	Shivendra	9024479199
3	नरिन्द्र	7976442323
4	मानवी मिश्र	9680405808
-	जगदीश शिन्हा	963668152
	रव्य ली राम शुक्ल	9079633020
	Dinesh Kumar Jaiswal	
	Blagiroth Shakti Arora	
	Savita, PO, RSPCB, Sikar	Arora
	Abhishek Sharma Pl. Anhad Minerario	
	5211144	5211144

प्रेषक:

समस्त ग्रामवासी

ग्राम — मोकलवास

पंचायत — मोकलवास

तहसील — नीमकाशाना

जिला — सीकर (राजस्थान)

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,

सीकर

विषय: ग्राम मोकलवास के निकट प्रस्तावित खनन परियोजना के विरुद्ध आपत्ति पत्र।

महोदय,

सचिनय निवेदन है कि हमारे गाँव मोकलवास (खसरा नं. 1152/981) के पास खनन परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है और इसके संबंध में पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। हम समस्त ग्रामवासी इस परियोजना का पूर्णतः विरोध करते हैं और निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज करवाना चाहते हैं:

1. स्वास्थ्य पर प्रभाव

खनन कार्य से उत्पन्न होने वाली धूल और प्रदूषण से गाँव में अनेक प्रकार की बीमारियों फैलेंगी, जैसे — अस्थमा, टीबी, सिलिकोसिस, इस्ट एलर्जी एवं फेफड़ों के रोग। यह वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का उल्लंघन है।

2. जल पर प्रभाव

प्रस्तावित खनन क्षेत्र गाँव की सिर्फ 200 मीटर दूरी पर है और गाँव के आसपास स्थित तालाब इसी खनन क्षेत्र की परिधि में आते हैं। साथ ही, दो बड़े तालाब लगभग 400 मीटर दूरी पर हैं, जिनसे हमारे गाँव की पेयजल व सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। खनन से भूजल स्तर में गिरावट और तालाब व बाँधों के प्रदूषित होने का गंभीर खतरा है। यह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का सीधा उल्लंघन है।

3. कृषि पर प्रभाव

खनन से उत्पन्न वाली धूल खेतों की उपजाऊ भूमि पर जम जाएगी, जिससे उत्पादन घटेगा और किसानों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा EIA Notification, 2006 का उल्लंघन है।

4. पर्यावरण एवं जीव-जंतु पर प्रभाव

हमारे गाँव की लगभग 200-300 बकरियाँ व भेड़ें तथा 300-400 गायें अपनी पशुपालन भूमि, जंगल व आसपास की हरियाली पर आश्रित हैं। यदि खनन हुआ तो पार की भरी काली धूल और मृत्तिका पानी पीने के पशुजीवों की आँखों में पड़ेगी। यह धूल (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की भावना के विपरीत है।

5. निकटता एवं सांस्कृतिक/धार्मिक महत्व

खनन स्थल पर स्थित प्राचीन बेरुजी महाराज का मंदिर गाँव की आस्था एवं सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ है। खनन कार्य से मंदिर की पवित्रता, शांति और संरचना पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह खनन स्थल खनन नियम, 2017 तथा EIA Notification, 2006 की भावना के विपरीत है।

6. जनसमुदाय की अध्ययन संबंधी आपत्ति

चूंकि यह खनन परियोजना क्लस्टर योजना के अंतर्गत आती है, अतः इसकी जनसमुदाय की अध्ययन केवल सामंजस्य जिला कोषकद्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी को करनी चाहिए। जिला समिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा जनसमुदाय कराना नियम व प्रक्रिया की संगीर अनुमोदना होगी।

अतः हम जनसमुदाय के विरुद्ध निवेदन करते हैं कि उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति न दी जाए। यह परियोजना हमारे गाँव के स्वास्थ्य, पर्यावरण, छेती, जल स्रोत और धार्मिक धरोहर के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी।

दिनांक: 18/07/2025

स्थान: राम मोहनवास, तहसील नीमकायाना, जिला सीकर

भवदीय,

समस्त जनसमुदाय

राम मोहनवास

किशोरी लाल शर्मा

7976328650

जयपुर

9928572905

मोहन सिंह

9521134228

सरवदास

9799814752

रामानंदन

8769280478

विक्रम सिंह

8302042716

2221200000

मुकेश शर्मा

6378756630

जिनेश शर्मा

8003424186

जुगलेश्वर शर्मा

9930997888

जुगलेश्वर शर्मा

8290236383

आलू शर्मा

9582403737

जालाल शर्मा

8769250836

नवीन शर्मा

9680603049

जगनमोहन शर्मा

9352538267

शिव शर्मा

8094551023

शिव (9521417737)

जयदीप सिंह

9636108158

सुरेश सिंह

9950956698

हरदान अर्जर

9461396461

पूजा सिंह

9799760561

रघुवीर सिंह

8690484137

उमेश

PC 1206 4277

काविशाकर्मका
7852630153

मो. 900156 0059

सुमन मीणा

मो. 900156 0059

मो. 9784609082

मो. 9784609082

मो. 8003663639

मो. 9796350-20 रघुवती राम
मो. 9636116621

कस्तूर मीणा - 7476677139

रामकुमार 9571271004

मो. 830077

मो. 830077

मो. 830077

मो. 9636083517

मो. 900156 0059

मो. 9024 479155
लीला राम मीणा
मो. 900156 0059

मो. 9680767441

मो. 9587314474

मो. 900156 0059

मो. 8302567728

मो. 900156 0059

मो. 900156 0059

मो. 900156 0059

मो. 900156 0059

मो. 9789974245

मो. 900156 0059

मो. 900156 0059

सेवा में

(2)

माननीय A.O.M. महोदय जिला सीकर

तहसील - नीमकाधाना

जिला - सीकर (राजस्थान)

विषय : खनन परियोजना के निकट स्थित हमारी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु आवेदन।

महोदय,

निवेदन है कि हमारे ग्राम नीमलवास में एक खनन परियोजना स्थापित हो जा रही है। ऊक्त प्रस्तावित खनन स्थल हमारी खातेदारी भूमि के निकटतम समीप स्थित है जिसकी दूरी माइनिंग क्षेत्र से 0 से 10 मिटर है। इस कारण हमें गंभीर समस्याओं का सामना करने पड़ेगा।

1. खनन कार्य से उत्पन्न होने वाला धूल, प्रदूषण एवं कंपन हमारी भूमि के उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
2. खनन के कारण भूजल स्तर में गिरावट आयेगी।
3. खनन स्थल नजदीक होने के कारण हमारी खेती योग्य भूमि को दूधारे पड़ने, बांजर होने एवं फसल उत्पादन में कमी होने का डर है।
4. हमारी पत्नी की स्वास्थ्य जीवनयापन का साधन है।

अतः आपसे निवेदन है कि हमारी खातेदारी भूमि के निकट खनन पहा/परियोजना की स्वीकृति प्रदान न की जाए तथा किसानों के अधिकार की रक्षा हो जाए।
असरा नमस्कार 971, 972, 973, 974, 975, 978, है।

भवदीय

नाम - सुन्दर लाल मीठा
पिता - रणजित मीठा
ग्राम - नीमलवास
पंचायत - नीमलवास

Name No
990048499

महाराष्ट्र सरकार

7976992222

उत्तर मंत्रालय

8301661250

महाराष्ट्र सरकार

8890214014

उत्तर मंत्रालय

किटोरी लाल मीमा

7976928650

श्रीमान AGM महोदय:

जानकूनवाडी हमारी ग्राम भोक्लवास

जिला सीकर.

विषय : खानन परियोजना के निकट हमारी खातेदारी की जमीन व हमारा घर की सुरक्षा हेतु।

महोदया :

निवेदन है कि हमारे ग्राम भोक्लवास में एक खानन परियोजना स्थापित कि जा रही है। उस प्रस्तावित खानन स्थल हमारी खातेदारी की जमीन व घर के समीप स्थित है जिसकी दूरी मरनिंग फ्रेज के 200 से 400 मीटर है। इस कारण हमारी घर के डिवाले टूट सकती है। और हमारी जमीन की उपजाऊता खत्म हो जायेगी।

1. खानन कार्य के दौरान होने वाले झटका से घर कि डिवाले टूट सकते है।
2. हमारी जमीनों कि उपजाऊ फ नष्ट हो जायेगी।
3. सबसे दूर स्थित 300 मीटर 100000 लीटर ^{पानी} क्षमता वाला खाँध है खानन कार्य के पानी प्रदूषित हो जायेगा। पानी कि कमी का जायेगी।
4. हमने इसी चीटी के अलावा अन्य हमारे पास कोई अन्य रोजगार नहीं है।

खसरा संख्या - 434, 435

पिता - ^{सुददीप} ~~बन्नी~~ उमा मीणा
नाम नवीन मीणा
सुभाष चन्द मीणा
मोहित मीणा
बंकर मीणा
ग्राम भोक्लवास

~~9680405808~~
9680405808

has has
9950414199

जितेंद्र मीणा
8000495186

सोनू जीणा

7852004519

राहुल मीणा
8840214004
सुरेश मीणा

8901661200

रमण सोण

9980106998

विक्रम कुमार मीणा

9352529934

संदीप मीणा

6378727278

राहुल सिंह

7073669804

संवादि

(4)

जीमान आहिरि जिना नलोइर भोइय

जन सुमार् प्रचारी ग्राम पंचायत

मोडवास - डोडा नीमराधाना सीडा 332903

विषय :- हमरा ने 1137/303 के नजरीद हमारी छवि छुमि के लोप छ
में प्रार्थना - पत्र ।

भोइय

अपिन्न मित्र हैं। डि प्रार्थी छुकीलाल मीना ग्राम मोडवास का
मिवासी हैं। हमारे पिताजी, प्रचारा राम श. सुखाराम की जमीन

खसरा नं - 306, 308, 309, 310, 313, 314, 317, 318, 319, 320,
322, 323, 324, 360, 362, 364, 410 खाता लेखा नं. 84 में

छवि छुमि खसरा नं 303, 304, 305 इसमें नी छ 150 का
के जोली कर रहे है, पशुपालन करा रहे है। साथ नरों तरफ
हमारी तरफ और काटाई है। इसमें कई लाने पहले मगरिक
में दिखकर बं बड़ा सारा अपने अण्ड में दिख रहे है। और
अब उन्हें लीज के लिए आवंटित कर दिया है। इसलिए जीमानजी

से मित्र हैं हमारी खसरा की जमीन की मासिक और सन
पणों से उर्फ छुमि अथवा और नष्ट होगी। जो डि खसरा नं.

303 के आस-पास है। इसलिए पुरा ^{वृक्ष} और आस-पास ^{के लोप}
हैं सब अक्रोम में है और उन्हें आस है। उन्हें आसपा
हमारे पास कर्म का करी हाथन नहीं है। इसके कर्म हम मिकर
हैं।

— उ. जीलाल मीन

प्रार्थी

नाम - उ. जीलाल मीन
ग्राम - मोडवास तह. दीनपुर
पिता - मीन

६२९१५

दिनांक
18-09-2005

9690905808

देविका जीजा

884021444

नरेश जीजा

8901661200

सुभाष जीजा

8800567885

लक्ष्मी जीजा

9350106518

विजय जीजा

9588231038

विनीत कुमार जीजा

9352525804

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

फॉर्म पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- मोकशवास

परवार हल्का :- मोकशवास

भू-अधिकार क्षेत्र :- टोडा

तहसील :- नौम का थाना

जिला :- सीकर

कामतवासर का नाम :-

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2075 - 2078

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

क्षेत्रफल की इकाई :- हेक्टेयर

खाता संख्या नं० :- 64

खाता संख्या पुराना :- 82

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2075-2078
जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) के अधीन

1. प्रभाता पुत्र सुरजा हिस्ता-पूर्ण जाति-मीणा सा. देह खतोदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	वृषभ द्वारा सिंचाई के साधन	अन्तरण के तहत में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
306	0.2300 बाराणी 2	0.2300 0.92		
308	0.0900 बाराणी 2	0.0900 0.36		
309	0.5400 गै.मु.भरपड़	0.5400		
310	0.0600 बाराणी 2	0.0600 0.24		
313	0.4200 बाराणी 2	0.4200 1.68		
314	0.3500 बाराणी 2	0.3500 1.40		
317	0.0300 बाराणी 2	0.0300 0.12		
318	0.0200 बंजड़	0.0200 0.04		
319	0.0200 बाराणी 2	0.0200 0.08		
320	0.0300 बाराणी 2	0.0300 0.12		
322	0.0400 बाराणी 2	0.0400 0.16		
323	0.0600 गै.मु.भरपड़	0.0600		
324	0.0300 बाराणी 2	0.0300 0.12		
360	0.0200 बाराणी 1	0.0200 0.12		
362	0.0300 बाराणी 1	0.0300 0.18		
364	0.0400 बाराणी 2	0.0400 0.16		
410	0.0400 बाराणी 2	0.0400 0.16		
कुल खसरे -17	2.0500	5.8600		

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम :- B

प्रतिलिपि सं. - 140612

दिनांक व समय - 16/Sep/2023 04:24:00 PM

पता - B

आई.पी. - 10.70.244.252

नकल जारी करने का स्थान - नौम का थाना

यू.एस.एन - 23138137126401

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=23138137126401>

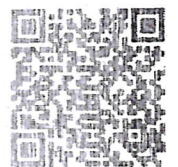
ई-हस्ताक्षर की सुचना :-

हस्ताक्षरकर्ता :-

BRJESH.KUMAR@RAJASTHAN.GOV.IN

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 18/Sep/2019 02:01:00 PM

पद - तहसीलदार



पुलिस एक्शन में, केस दर्ज:
 राहुल की शिकायत पर सीकर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस शिवम, राहुल और शुभम नामक युवकों की तलाश में जुटी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

गण्ड (यथा तथा) बाह्य भाग में मण्डल के नाम से आर्मांडोलेखन को प्रस्तुत किया गया है।
 ६. मिनेरियोज प्राग्देवति तिण्डेले, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को धरा-
 तीव्र स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह राजस्थान परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को
 उक्त परियोजना हेतु नए एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी
 ओ. १६३३ दिनांक १४.०९.२०१६ एवं एसओ. १४१ ई दिनांक १५.०१.२०१६ के प्रावधानों के
 हेतु इस आशय की सूचना जारी कर ३० दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
 निम्न संक्षिप्त अंगिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अंगिलेख निम्न
 की संलग्न है:-

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर

1. जिला कलक्टर, सीकर।

उन्हें आत्मनिर्भर बनने का जिक्र नेतृत्व में आगे के प्रति सजग रहने। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी रोडा ने कार्यक्रम को हुए राष्ट्रप्रेम, स्वच्छता रूकता पर विशेष स्थित नागरिकों एवं आवाहन किया कि वे अपने फहराए व पर्यावरण व वन में अपनाएं और एक क की भूमिका निभाएं। माजपा युवा नेता कृष्ण या। इस अवसर पर के कर्मचारीगण जयंत रु, कालीचरण उपस्थित गरिकों से आवाहन किया -अपने घरों पर तिरंगा च्छता को अपनाएं और क्रय भागीदारी निभाएं।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिड़ोदी में मंगलवार को भामाशाह व प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य अंबिकेश गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागीरथ मल गोदारा पंचायत समिति सदस्य विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम योगी, संदर्भ व्यक्ति सुरेश कुमार भास्कर, राजेंद्र प्रसाद प्रतिनिधि थे। कार्यक्रम के संयोजक दिनेश कुमार ने बताया कि इस अवसर पर अतिथियों द्वारा विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों के साथ-साथ विद्यालय में आर्थिक सहयोग करने वाले दानदाताओं एवं भामाशाहों का भी साफा, प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन व्यवस्थापक प्रमोद कुमारी ने किया। सम्मान समारोह में जगदीश भास्कर, पूर्व अध्यापक, ब्रजमोहन भास्कर, ईश्वर सिंह, रामकरण राजपाल, सुखदेव राम, फूलचंद, ताराचंद, नेमीचंद, प्यारेलाल भास्कर, रामस्वरूप भास्कर सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

यमितताओं से युवाओं सांसद राहुल कस्वां

गया, जो उनकी सुरक्षा, मानसिक स्थिति पर सीधा न सभी कारणों के चलते भरोसा परीक्षा प्रणाली से कस्वां ने कहा कि द्वारा की जा रही शिकायतों उपेक्षा वाद उनकी अपनी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन के होना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान और शिक्षकों पर दिल्ली कठोर दमनात्मक कार्यवाही उनके साथ अपराधियों की हार किया गया, जो मूल्यों के बिल्कुल विपरीत क्षा में गडबडी का मतलब उम्मीदों का चकनाचूर हो

जाना। अनेकों समस्याओं से जूझते हुए वर्षों से तैयारी करने वाले युवाओं के सपनों को सुनियोजित ढंग से कुचलने का प्रयास अत्यंत ही गंभीर मामला है। सांसद कस्वां ने केन्द्र सरकार से इस विषय पर त्वरित संज्ञान स्वतंत्र तकनीकी जांच करवाने, निजी परीक्षा एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा करने, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित करनी की मांग की। उन्होंने कहा कि एसएससी जैसी संस्थाओं देश के युवाओं का भरोसा उठाना अत्यंत ही गंभीर है। सरकार युवाओं की मांगों के अनुरूप तत्काल कड़े कदम उठाकर व्यवस्था को पारदर्शी बनाए।

रोपण कार्यक्रम

निविदा सूचना
निविदा क्रमांक BBC/PM/05 और BBC/PM/06
बांधनी बंधेज (टाई एंड डाई) क्लस्टर चूल् के

- III राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना झूरी, जयपुर।
 - IV क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, E-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
 - V महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
 - VI उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
 - VII क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
 - VIII ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
 - IX राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला सीकर।
 - X निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एसएससी) भवन, सचिवालय, जयपुर।
 - XI क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर।
- अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एताद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 2-15 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय परित निर्देशों के अनुरूप एवं अद्यतन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सामधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर।

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-31/1135-1142 Date 04.08.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय- मैसर्स अन्वैड मिनेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 50, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आदेशक मैसर्स मैसर्स अन्वैड मिनेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-21, 87836 हेक्टर, प्लॉट नंबर 56, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स अन्वैड मिनेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

- i. जिला कलेक्टर, सीकर।
- ii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
- iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना झूरी, जयपुर।
- iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, E-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
- v. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
- vi. उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
- vii. क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
- viii. ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
- ix. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला सीकर।
- x. निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एसएससी) भवन, सचिवालय, जयपुर।
- xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एताद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 2-15 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय परित निर्देशों के अनुरूप एवं अद्यतन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सामधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर।

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-32/1143-1150 Date 04.08.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय- मैसर्स अन्वैड मिनेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 57, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आदेशक मैसर्स मैसर्स अन्वैड मिनेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-21, 87838 हेक्टर, प्लॉट नंबर 57, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स अन्वैड मिनेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

- i. जिला कलेक्टर, सीकर।
- ii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
- iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना झूरी, जयपुर।
- iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, E-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
- v. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
- vi. उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
- vii. क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
- viii. ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
- ix. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला सीकर।
- x. निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एसएससी) भवन, सचिवालय, जयपुर।
- xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एताद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 2-15 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय परित निर्देशों के अनुरूप एवं अद्यतन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सामधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर।